विषय : 33 के.व्ही. लाईन से 50 कि.वा. एच.टी. कनेक्शन स्वयं के व्यय पर देने बावत।

: आदेश–पत्र :

(सुनवाई दिनांक 15.03.2011)
(आदेश–पत्र दिनांक : 29.03.2011)

अध्यक्ष
पातीराम शिवहरे लोक कल्याण एवं शिक्षा न्यास, भिण्ड (म.प्र.) – याचिकाकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. मध्य क्षेत्र, विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल (म.प्र.) – उत्तरार्थी

याचिकाकर्ता की ओर से प्रतिनिधि अनुपस्थित।

2. यह याचिका 33 के.व्ही. लाईन से 50 किलो वाट एच.टी. कनेक्शन स्वयं के व्यय पर प्रदाय करने के संबंध में है।

3. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिवेदन में बतलाया गया कि उक्त कालेज में नर्सिग, पैरामेडिकल के कोर्स व बच्चों के हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। वर्तमान में महाविद्यालय में ग्रामीण विद्युत की सप्लाई होने से महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रेक्टीकल करने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है व होस्टल में भी काफी दिक्कत रहती है भिण्ड जिला शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ा जिला है व डाकू समस्या से काफी ग्रस्त है न्यास द्वारा संचालित कोर्स रोजगार दिलाने वाले कोर्स है इन कोर्सो में पढने वाले विद्यार्थियों व रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध है। भारत वर्ष में स्वास्थ्यसेवा एक ऐसी जरूरत भरी सेवा बन गयी है न्यास द्वारा संचालित कोर्स को पढने वाले विद्यार्थी निश्चित तौर से स्वास्थ्यसेवा की जरूरत को पूरा करेगें। मध्य प्रदेश शासन भी पिछड़े हुये जिले में इस तरह के शैक्षणिक कोर्स संचालित करने की कोशिश कर रही है, जो रोजगार प्रदान करते है। अतः न्यास को स्वयं के व्यय पर कंपनी की शर्तो के नियमानुसार 33 के.व्ही. लाईन से 50 के.व्ही. एच.टी. कनेक्शन प्रदान करने की मांग की गई है। उक्त याचिका पर सुनवाई हेतु दिनांक 15.2.2011 नियत की गई।

4. याचिकाकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 9.2.2011 से नियत दिनांक 15.2.2011 के स्थान पर फरवरी माह के अंत में सुनवाई करने के लिए निवेदन किया था। आयोग द्वारा उक्त आवेदन पर विचार करके सुनवाई दिनांक 15.3.2011 नियत की गई। परन्तु याचिकाकर्ता दिनांक 15.03.2011 को अनुपस्थित था।

5. आवेदक द्वारा पूर्व में महाविद्यालय हेतु 33 के.व्ही. पर 33 के.व्ही.ए. कनेक्शन के लिये याचिका क्रं. 51/09 प्रस्तुत की थी । आयोग द्वारा याचिकाकर्ता एवं अनावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनने के

विषय : 33 के.व्ही. लाईन से 50 कि.वा. एच.टी. कनेक्शन स्वयं के व्यय पर देने बावत।

पश्चात यह निर्देशित किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा दिये गये कारण तकनीकी नहीं है। आयेाग द्वारा याचिका के अवलोकन से यह पाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत प्रदाय की स्थिति में विगत वर्षों में कोई उल्लेखनीय बदलाव परिलक्षित नहीं हुई है। अतः विद्युत प्रदाय की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एवं टैरिफ आदेश में उल्लेखित उच्च दाब टैरिफ हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तो की धारा 1.19 के अंतर्गत 33 के.व्ही. पर न्यूनतम संविदा मांग से कम संविदा मांग पर एच.टी. कनेक्शन देने की अनुमति प्रदान करना उचित नहीं होगा।

6. आयोग द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका दिया गया, परन्तु याचिकाकर्ता के सुनवाई दिनांक 15.03.2011 को अनुपस्थित रहने पर याचिका की सुनवाई दिनांक 20.4.2011 को करने का निर्णय लिया ।

(सी.एस. शर्मा)	(के.के. गर्ग)	(राकेश साहनी)
सदस्य (आर्थिक)	सदस्य (अभियांत्रिकी)	अध्यक्ष